न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद ताहीर R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
पुराना 502/दावा/2014		
पुनः दर्ज 125/दावा/2019	23.10.2019	06.11.2019

1. नेमीचन्द जैन आ0 गोपाल लाल जैन निवासी बी–28 तलवन्डी कोटा (राज0)
2. राजकुमार जैन आ0 गोपाल लाल जैन निवासी 415 रामचन्द्रपुरा छावनी कोटा (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. श्रीमति गुणमाला जैन पुत्री गोपाल लाल जैन निवासी तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक
अधिवक्तावादीः– श्री संजय जैन
अधिवक्ता प्रतिवादीः–

– : : निर्णय : : –

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89 एवं 188, 92 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न तथ्य निवेदन किया है किः–

1. यह कि स्व0 गोपाल लाल जी के स्वामित्व एवं खातेदारी अधिकारी व आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 170 खसरा संख्या 27/994 रकबा 8 बिस्वा, खसरा 49/1016 रकबा 13 बिस्वा खसरा 52/995 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा, खसरा 1214 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 24 बीघा 4 बिस्वा ग्राम नोताडा भोपत तह0 एवं जिला बून्दी मे विस्थित है। यह कि इसी प्रकार भूमि खाता संख्या 116 खसरा संख्या 670/164 रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा ग्राम भोपतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी मे विस्थित है।
2. यह कि स्व0 गोपाल लाल जी का निधन दिनांक 25.11.1999 को हो चुका है। तथा उनके द्धारा चरण संख्या 1 मे वर्णित कुषि भूमि के बाबत एक वसीयत रामा दिनांक 20.7.1999 को निष्पादित किया गया। उक्त भूमियो के सम्बन्ध मे स्व0 गोपाल लाल जी के देहान्त के पश्चात से ही भूमियो पर वादिगण ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।
3. यह कि वसीयतनामा अनुसार भूमि खाता 170 मे वादी नेमीचन्द को 13 बीघा 3 बिस्वा वादी राजकुमार को 11 बीघा 3 बिस्वा तथा ग्राम भोपतपुरा की कृषि भूमि खाता संख्या 116 वाके ग्राम भोपतपुरा की कृषि भूमि वादी राजकुमार को वसीयत की थी। तद्नुसार ही वादीगण भूमियो पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।
4. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपसी मिली भगत कर विरासत के आधार पर एक नामान्तकरण संख्या 584 दिनांक 15.9.2000 को निष्पादित करवाया जिसे निरस्त करने हेतु माननीय जिला कलेक्टर महोदय बून्दी के समक्ष एक अपील 128/ अपील/ 2000 वादीगणो द्वारा पेश की गई उक्त अपील पर दिनांक 7.3.2001 को माननीय जिला कलेक्टर महोदय बून्दी द्वारा निर्णिय पारित करते हुए विवादग्रस्त नामान्तकरण को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार वसीयत के आधार पर सम्पूर्ण भूमि के सम्बन्ध मे वादीगण का स्वामित्व एवं आधिपत्य प्रमाणित हो गया है।
5. यह कि वादीगण के हक में स्व0 गोपाल लाल जी द्धारा निष्पादित वसीयत से स्व0 गोपाल लाल जी की वसीयत अनुसार सम्पत्ति के विधिक स्वामी बन चुके है तथा प्रतिवादी की जानकारी से दिनांक 20.7.1999 से विवादित भूमियो पर वादीगण ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी (राज0)

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

यह कि बाद निर्णय प्रतिवादी संख्या 2 का यह विधिक दायित्व था। कि वह विवादित कृषि भूमि के बाबत वादीगण को सूचना पत्र जारी करते लेकिन ऐसा नही किया वादी स्वयं कही बार तह0 तालेडा मे होकर आ गया परन्तु आज तक भी प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वसीयत के आधार पर विरासत के नामान्तकरण के सम्बन्ध मे अपना निर्णय पारित नही किया है। जबकि वसीयत के आधार पर वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह विवादित सम्पत्तियो के बाबत पेश कर वसीयत के आधार पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित करवाये तथा इस आशय का इन्द्राजात राजस्व रेकार्ड मे करे।

7. यह कि वादीगण को ज्ञात हुआ है। कि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त भूमियो को आपसी मिली भगत कर भूमाफियागण को राजस्व रेकार्ड मे स्वयं के नाम होने का फायदा होने का अनुचित लाभ लेने की गरज से हस्तान्तरण (विक्रय) करने पर आमादा है इस कारण से वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादी संख्या 1 को पाबन्द करवावे की वह विवाहित कृषि भूमि अन्य किसी को रहन बैचान हस्तान्तरण नही करे न ही वादीगण को बेदखल करे।

8. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा भूमियो को हस्तान्तरण होना ही वाद कारण है।

अतः वाद पेश कर निवेदन है। कि–

1. वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि भूमियो को वसीयत अनुसार वादीगण को खातेदार कृषक घोषित करने की आज्ञप्ति फरमायी जावे।
2. यक कि प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वह विवादग्रस्त भूमि को अन्य किसी को रहन बैचान हस्तान्तरण नही करे न ही वादीगण को भूमि पर से बेदखल करे।
3. यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो भी वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हो प्रदान की जावे।

वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की और से उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

साक्ष्य में वादी की और से नकल जमाबन्दी खाता सं0 119 ग्राम भोपतपुरा संवत् 2071–74 प्रदर्श–1, जमाबन्दी खाता सं0 177 ग्राम नोताड़ा भोपत संवत् 2072–75 प्रदर्श–2, जल संसाधन विभाग की रसीद सं0 6,32,3,28,5,6,13, प्रदर्श–3 लगाा0 9, लगान रसीद सं0 30,49,29,47 प्रदर्श–10 लगा0 13, शान्ति बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–14, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 18.02.2003 की प्रति प्रदर्श–15, गोपाल लाल जैन का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–16, पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 03.10.2012 प्रदर्श–17, पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 03.10.2012 प्रदर्श–18, नकल जमाबन्दी खाता सं0 57 ग्राम नोताडा संवत् 2056–59 प्रदर्श–19, बही वसीयतनामा दिनांक 20.07.1999 प्रदर्श–20ए, न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी की निर्णय प्रति दिनांक 7.3.2001, जमाबन्दी खाता सं0 31 ग्राम भोपतपुरा संवत् 2055–58, जमाबन्दी खाता सं0 57 ग्राम नोताडा भोपत संवत् 2056–59, जमाबन्दी खाता सं0 170 ग्राम भोपतपुरा संवत् 2068–71, जमाबन्दी खाता सं0 116 ग्राम भोपतपुरा संवत् 2067–70, साक्ष्य शपथ पत्र में राजकुमार जैन आ0 गोपाल लाल जैन का शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1, नेमीचंद जैन आ0 गोपाल लाल का शपथ पत्र पीडब्ल्यू–2, विरेन्द्र कुमार जैन आ0. नाथू लाल जैन का शपथ पत्र पीडब्ल्यू–3, चांदमल जैन आ0 नेमीचंद का शपथ पत्र पीडब्ल्यू–4, कैलाश चन्द जैन आ0 चांदमल जैन जाति जैन महाजन निवासी केशवपुरा कोटा का शपथ पत्र पीडब्ल्यू–5 की प्रतियाँ पेश की।

वादी वकील द्वारा लिखित बहस पेश की। बहस के दौरान वकील वादी आर.एल.डब्ल्यू. 2014 पार्ट (4) 3537 पेरा 26 एवं आर.एल.डब्ल्यू. 2016 पार्ट 1 पेज सं0 557 पेरा 30 की नजीरे पेश की। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त कृषि भूमि विधि के प्रावधानों के अनुसार स्वअर्जित कृषि भूमि है, जो स्वर्गीय गोपाल लाल जैन द्वारा अर्जित की गई है। दिनांक 25.11.1999 को गोपाल लाल का निधन हो गया। वादीगण के द्वारा परिस्थियों को ध्यान में रखकर नामान्तकरण की चारा जोहीं नही की उसका अनुचित फायदा लेकर प्रतिवादी सं0 1 गुणमाला जैन व अन्य पुत्रियों के द्वारा नामान्तकरण सं0 584 से नेमीचन्द, राजकुमार, गुणमाला, मन्जु, राजेश व शांति बाई के नाम दर्ज करवा दिया गया। नामान्तकरण सं0 584 की अपील श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, बून्दी के करने पर दिनांक 7.3.2001 को अपना निर्णय पारित करते हुये नामान्तकरण सं0 584, नामान्तकरण सं0 254 को निरस्त कर दिया। शान्ति बाई व राजेश बाई का देहान्त हो चुका है। उक्त आदेश दिनांक 7.3. 2001 के विरूद्ध एक अपील मृतक शान्ति बाई, गुणमाला जैन आदि द्वारा पेश की गई। अपील सं0

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज.)

Scanned by CamScanner

81/2001 शान्ति बाई बनाम नेमीचंद पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.2.2003 पारित कर अपील की कार्यवाही ड्रोप कर पक्षकारान व मुकदमे के मध्य विचाराधीन बंटवारे के लिए राजस्व विभाग के अंतिम निर्णय के अनुसार कार्यवाही करने हेतु आदेश दिया। उक्त वाद जो कि शान्ति बाई के द्वारा पेश किया था दिनांक 20.07.2006 अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज़ हो गया तत् पश्चात शांति बाई व गुणमाला जैन द्वारा कोई आगे कार्यवाही नहीं की गई एवं खारिज का निर्णय अंतिम निर्णय हो गया। वाद खारिज के लगभग 8 वर्ष बाद वादी ने उक्त वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत् पेश किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया। गवाह पीडब्ल्यू–3 विरेन्द्र कुमार जैन आ0 नाथू लाल जाति जैन महाजन निवासी तालेडा द्वारा अपने बयान में कथन किया कि वसीयत कर्ता गोपाल लाल ने एक वसीयत नामा प्रदर्श–20 जो बही पर निष्पादित करवाया गया था जिसकी छायाप्रति प्रदर्श–20ए है। इस पर मेरे हस्ताक्षर सी से डी व गोपाल लाल जी के हस्ताक्षर ए से बी है एवं मेरे सामने गोपाल लाल जी के अलावा चांदमल जैन जिसके हस्ताक्षर ई से एफ है। कैलाशचन्द के हस्ताक्षर जी से एच, महावीर जैन के हस्ताक्षर आई से जे है। उक्त वसीयत नामा गोपाल जी ने बोलकर लिखवाई थी एवं हमारे सामने हस्ताक्षर किये थे। हमने उनके सामने हस्ताक्षर किये थे। गोपाल लाल ने वसीयत नामा स्वइच्छा से निष्पादित करवाया था एवं गवाह पीडब्ल्यू–4 चांदमल जैन द्वारा अपने बयान में कथन किया कि दिनांक 20.7.1999 को स्वयं गोपाल लाल के द्वारा बोलकर सही उच्चारण कर एक वसीयत नामा मेरे स्वयं हाथ से बही के कागज पर बही में लिखवाया था जो प्रदर्श–20ए है। मूल बही प्रदर्श–20 है। जिसपर गोपाल लाल के हस्ताक्षर ए से बी विरेन्द्र के सी से डी, कैलाशचन्द के जी से एच, महावीर जैन के आई से जे व मेरे हस्ताक्षर ई से एफ है। वसीयत पर गोपाल लाल द्वारा मेरे समक्ष व हमारे द्वारा गोपाल लाल के समक्ष प्रत्येक पेज पर चिन्हित हस्ताक्षर किये थे। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–5 कैलाशचंद जैन ने अपने बयान में कथन किया कि दिनांक 20.07.1999 को गोपाल लाल जी द्वारा एक वसीयत नामा रूबरू गवाहन बोलकर बही पर लिखवा था। जिसके प्रत्येक पेज पर मेरे हस्ताक्षर जी से एच है। वसीयत नामा प्रदर्श–20 प्रति प्रदर्श–20ए है। उक्त दस्तावेज पर गोपाल लाल जी के हस्ताक्षर ए से बी विरेन्द्र कुमार जैन के सी से बी, चांदमल जैन के ई से एफ व महावीर जैन के आई से जे हस्ताक्षर है। वसीयत नामा बिना किसी दबाव के गोपाल जी ने लिखवाया था। प्रस्तुत नजीर आर.एल.डब्ल्यू. 2016 पार्ट 1 पेज सं0 557 पेरा 30 में ***'' उत्तराधिकार अधिनियम 1925, धारा 63 और साक्ष्य अधिनियम, 1872 धारा 68 वसीयत के प्रोबेट हेतु आवेदन– मामले में विधि की वांछनीयता पूर्ण की गई और उसे स्थापित किया गया– प्रश्नगत वसीयत सम्यक् रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित की गई – वसीयत उसके निष्पादक द्वारा हस्ताक्षरित और दो निष्पक्ष साक्षीगण द्वारा तस्दीक सुदा थी – विधि की समस्त वांछनीयताएं स्थापित होती है। ''*** यहाँ पर भी मृतक गोपाल लाल के द्वारा अपनी सम्पत्ति की दोनों पुत्रों के हक में बही वसीयत की गई है एवं उनका देहान्त सन् 2000 से पूर्व हो चुका है। उक्त वसीयत के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के हित मे खातेदारी अधिकार दिये जाने मे कोई बाधा नहीं है। अतः वाद वादी वसीयत के आधार पर स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजीयात नकल जमाबन्दी खाता सं0 119 ग्राम भोपतपुरा संवत् 2071–74 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी खाता सं0 177 ग्राम नोताडा भोपत संवत् 2072–75 प्रदर्श–2 का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि वसीयत अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। बैंक का यदि कोई रहन हो तो रहन बदस्तूर रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 06.11.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

उपखण्ड अधिकारी
तालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेडा जिला बून्दी।

इजलास **मोहम्मद ताहीर , आर0ए0एस0**

1. नेमीचन्द जैन आ0 गोपाल लाल जैन निवासी बी–28 तलवन्डी कोटा (राज0)
2. राजकुमार जैन आ0 गोपाल लाल जैन निवासी 415 रामचन्द्रपुरा छावनी कोटा (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. श्रीमति गुणमाला जैन पुत्री गोपाल लाल जैन निवासी तालेडा जिला बून्दी (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी जिला बून्दी (राज0)

...प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा– 88,89 एवं 188, 92 आर.टी.एक्ट

पुराना 502/दावा/2014 नया पुनः दर्ज 125/दावा/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू बहहाजरी श्री संजय जैन एडवोकेट मिनजानिब मुदई ... मिनजातिब मुदायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वाद वादी वसीयत के आधार पर स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजीयात नकल जमाबन्दी खाता सं0 119 ग्राम भोपतपुरा संवत् 2071–74 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी खाता सं0 177 ग्राम नोताडा भोपत संवत् 2072–75 प्रदर्श–2 का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि वसीयत अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। बैंक का यदि कोई रहन हो तो रहन बदस्तूर रहेगा।

नीज..... मुबलिक..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालात		
स्टाम्प वकालात			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान					

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 06 माह 11 वर्ष 2019 को जारी की गई।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी(राज0)

Scanned by CamScanner